न्यायालय प्रभारी अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) छोटीसरवन (राज0)
राजस्व लोक अदालत अभियान 2016" न्याय आपके द्वार"
शिविर स्थलः– ग्राम पंचायत फेफर

निर्णय द्वाराः– अंश दीप रल्ह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः– 22/2013

उनवान

1. वागजी पुत्र स्व. जीवा मईडा जाति भील निवासी नापला पटवार मण्डल नापला तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाडा।

–वादी

बनाम

1. वरसिंग पिता जीवा मईडा जाति भील निवासी नापला पटवार मण्डल नापला तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाडा।
2. श्रीमती तुलसी बेवा जीवा मईडा जाति भील निवासी नापला पटवार मण्डल नापला तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाडा।
3. भूमिधारी तहसीलदार छोटीसरवन।

–प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 209 राज.काश.अधि.

निर्णय

दिनांकः 13/7/2016

प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी गांव नापला तहसील छोटीसरवन के स्थाई निवासी है। मृत खातेदार जीवा के वादी वागजी एवं प्रतिवादी सं. 1 वरसेंग पुत्र है व प्रतिवादी संख्या 2 तुलसी जीवित विधवा है। मृत खातेदार जीवा की दो पत्नीयां थी। उसकी पत्नी श्रीमती तुलसी से वरसेंग उत्पन्न हुआ जो वाद में प्रतिवादी है दुसरी पत्नी श्रीमती धुली और पिता जीवा का स्वर्गवास हो चुका है। मृत खातेदार का खाता गांव नापला के खेत खसरा नम्बर नं. 14 रकबा 2 बीधा 17 बिस्वा लगान 1.42 रू0, खसरा संख्या 17 रकबा 0.12 लगान 0.00 रू0, खसरा संख्या 184 रकबा 2.10 बीधा लगान 1.25 रू0, खसरा संख्या 879 रकबा 2.19 लगान 0.03 रू0, खसरा संख्या 880 रकबा 1.05 बीधा लगान 0.24 रू0, खसरा संख्या 885 रकबा 0.08 लगान 0.20 रू0 कुल खेत 6 रकबा 10.11 कुल लगान 4.46 जमाबन्दी वर्ष 2069–70 राजस्व दर्ज रेकार्ड है। वादी का कथन है कि उपरोक्त मृत खातेदार जीवा की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण सं. 282 दिनांक 29.09.2006 पटवारी ने खातेदार की मृत्यु के बाद उसके पुत्र वागजी वादी को सूचना नोटिस दिये बिना खोल दिया है जो गैर–कानूनी है। वादी भी मृत खातेदार जीवा की दुसरी पत्नी का पुत्र है और दोनो वादी व प्रतिवादीगण के मकान भी पास–पास है और संयुक्त रूप से वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 उपरोक्त कृषि भूमि मे खेती करते और लगान संयुक्त रूप से जमा कराते है। वादी का उपरोक्त खेतों में उसके पिता जीवा के वक्त से आज भी आधी कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है। नामान्तरकरण का आधार कृषि भूमि पर कब्जा होता है, कब्जा देखे बिना व सूचना दिये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना वरसेंग व तुलसी के नाम जमाबन्दी मे खाता संख्या 4 मे काश्तकार का नाम जो इन्द्राज किया है वह गैर कानूनी है। उसके साथ वादी का नाम भी जोडा जाने और राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का वादी अधिकारी है। वादी के अनुसार वह उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्पूर्ण खेतों मे 1/2 हिस्सा का अधिकारी है। मृत खातेदार जीवा के मरने के बाद वादी अपने हिस्से की कृषि भूमि व लगान का बंटवारा विधिवत कराने और उसी अनुपात मे लगान का भी बंटवारा कराने हेतु व नाम जोडे जाने यह वाद पत्र श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत है।

उपखण्ड अधिकारी, छोटी सरवन
जिला बांसवाडा (राजस्थान)

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, सम्मन तामिल होने पर प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता के उपस्थित हुए एवं जवाब दाव प्रस्तुत करने समय चाहा जो दिया जाकर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 21.04.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जवाब दावा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल कर नकल वादी अधिवक्ता को उपलब्ध कराई गयी। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में उल्लेख किया की वादी वागजी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 के तहत प्रस्तुत कीया। उक्त प्रकरण संख्या 13/2005 का निर्णय न्यायालय तहसीलदार बांसवाडा ने दिनांक 31.07.2006 को पारित किया जो प्रतिवादी वरसिंग के हक मे किया, वादी का प्रार्थना पत्र ठोस साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार कीया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में वादी एवं उनकी मृतक मां ने बयान दर्ज कराते समय स्वीकार कीया की वादी वागजी जीवा का पुत्र न होकर जीवा के बडे भाई का पुत्र है एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में उक्त वादग्रस्त आराजीयात का नामान्तरकरण पारित हुआ उसकी वादी वागजी को सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी तहसीलदार द्वारा निर्णित नामान्तरकरण को सूनने का अधिकार इस न्यायालय को नही है जिससे प्रथम दृष्टाया वाद वादी निरस्त योग्य है। तद्पश्चात निम्नांकित तनकीयातं कायम की गई:–

1. आया ग्राम नापला के खाता संख्या 81 नया 31 पुराना कुल खेत 6 कुल रकबा 10.11 बीधा का मृत खातेदार जीवा को कृषि भूमि में 1/2 भाग वादी का होने से खातेदार वरसेंग पिता जीवा एवं तुलसी बेवा जीवा के साथ वादी वागजी पिता जीवा का नाम 1/2 भाग पर जोडा जाये।

–वादी

2. आया नामान्तरकरण सं. 282 दिनांक 29.09.2006 पक्षकार को बिना सुने खोला गया है उसे कानूनन निरस्त किया जावे।

–वादी

3. आया वादी ने प्रतिवादी के विरूद्व न्यायालय तहसील बांसवाडा तहसील बांसवाडा में भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135 के तहत वाद प्रस्तुत किया था जो प्रकरण संख्सा 131/05 दर्ज हुआ जिसमे दिनांक 31.07.2006 को निर्णय होकर प्रतिवादी के पक्ष मे रहा। इस कारण वर्तमान वाद चलने योग्य नही होकर म्याद बाहर है एवं धारा 11 सी.पी.सी. रेसजुडीकेटा लागु होता है।

–प्रतिवादी

4. आया वादी वागजी स्व. जीवा का पुत्र नही है तथा उसकी माता श्रीमती धुली जीवा की पत्नी नही थी बल्की भाभी थी। स्व. जीवा के वास्तविक वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है।

–प्रतिवादी

5. आया तहसील बांसवाडा के निर्णय दिनांक 31.07.2006 के खिलाफ अपील प्रस्तुत नही की है। ऐसी स्थिति में वाद इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नही है।

–प्रतिवादी

6. दादरसी

पत्रावली वादी की साक्ष्य हेतु पेश हुई। वादी ने अपनी साक्ष्य में पी.ड्ब्ल्यू 1 वादी स्वयं वागजी, पी.ड्ब्ल्यू 2 मेगजी पिता विठला, पी.ड्ब्ल्यू 3 वालिया पिता विठला, पी.ड्ब्ल्यू 4 नागजी पिता रामा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070, प्रदर्श 2 पहचान पत्र धुली पत्नी जीवा, प्रदर्श 3 पहचान पत्र वागजी पिता जीवा, प्रदर्श 4 प्रमाण पत्र राष्ट्रीय मुक्त विधालयी शिक्षा संस्थान, प्रदर्श 5 प्रार्थना पत्र बाबत् जीवा के वारिसान के नाम जोडने बाबत्, प्रदर्श 6 निर्णय तहसीलदार बांसवाडा, प्रदर्श 7 प्रार्थना पत्र नामान्तरकरण नही खोलने बाबत्, प्रदर्श 8 नोटिस, प्रदर्श 9 जवाब नोटिस, प्रदर्श 10 प्रमाणित नकल बयान गवाह धुली, प्रदर्श 11 प्रमाणित नकल बयान गवाह वागजी, पृष्ठांकित कीये। शपथ पत्र गवाह् वादी वागजी एवं मेगजी पिता विठला की प्रतिवादी

अधिवक्ता द्वारा जिरह् की गई। वादी अधिवक्ता और काई साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहने से साक्ष्य वादी बन्द की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपनी साक्ष्य में ए. ड्ब्ल्यू 1 प्रतिवादी संख्या 1 वरसेंग, ए. ड्ब्ल्यू 2 धीरजमल पिता मलिया का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल वादी अधिवक्ता को उपलब्ध कराई गई।

वादी की माता स्व. श्रीमती धुली द्वारा प्रदर्श 10 अनुसार स्वयं स्वीकार किया गया की उसका विवाह जीवा से नही होकर उसके बडे भाई के साथ हुई थी तथा उनकी मृत्यु के पश्चात जीवा के पास अवैध रूप से चोरी चुपके मिला करती थी, इस अनुसार यह सिद्व होता है कि वादी की माता का विवाह समाज के रिति रिवाज अनुसार नही हुआ जिस कारण वादी जीवा का वारिस पुत्र नही है। अतः वादी तनकी संख्या 1 को सिद्व करने मे असफल रहा।

वादी द्वारा ऐसा कोई ठोस सबुत प्रस्तुत नही कीया गया की वह जीवा का वारिस पुत्र हो जिस कारण वादी को नामान्तकरण खोलते समय नोटिस दिये जाने की आवश्यक्ता ही नही रह जाती है। अतः वादी तनकी संख्या 2 को सिद्व करने में असफल रहा।

तहसीलदार द्वारा निर्णित नामान्तरकरण की अपील न्यायालय जिला कलक्टर को सूनने का अधिकार है इस न्यायालय को नही है, धारा 11 सी.पी.सी. रेसजुडीकेटा लागु होता है। अतः प्रतिवादी तनकी संख्या 3 सिद्व करने में सफल रहा।

धुली स्वयं द्वारा तहसीलदार बांसवाड के समक्ष बयान कलमबद्व कराते हुए स्वीकार कीया की धुली जीवा के बडे भाई की पत्नि है जीवा उसका देवर है। अतः प्रतिवादी तनकी संख्या 4 सिद्व करने में सफल रहा।

तहसीलदार द्वारा निर्णित नामान्तरकरण की अपील सूनने का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नही है। अतः प्रतिवादी तनकी संख्या 5 को सिद्व करने मे सफल रहा।

इसी द्वौराने पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान 2016 न्याय आपके द्वार शिविर स्थल अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत नापला तहसील छोटीसरवन पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया की पूर्व में वादी द्वारा तहसीलदार बांसवाडा के न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 135 भू.रा.अधि. का प्रस्तुत किया जिसमें तहसीलादर बांसवाडा द्वारा उक्त वाद ठोस सबुत के अभाव में निरस्त कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम नामान्तरकरण दर्ज रेकार्ड करने के आदेश दिये । वादी को उक्त नामान्तरकण की नियमानुसार संबधित न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहीये थी। वर्तमान में वाद इस न्यायालय में चलने योग्य नही होकर इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है। जिससे वाद निरस्त योग्य है।

(अंश दीप रलु)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसरवन

उपखण्ड अधिकारी, छोटी सरवन
जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)

आदेश

अतः वाद वादी विरूद्व निर्णित किया जाता है।

निर्णण आज दिनांक 13/7/2016 को सुनाया गया।

(अंश दीप रलु)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसरवन

उपखण्ड अधिकारी, छोटी सरवन
जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(ऑर्डर 20 रूल 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : **उपखण्ड अधिकारी**, मुकाम : **बांसवाड़ा व** इजलास अंश दीप रल्ह (IAS)

प्रकरण संख्याः– 22/2013

उनवान

1. वागजी पुत्र स्व. जीवा मईडा जाति भील निवासी नापला पटवार मण्डल नापला तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाडा।

–वादी

बनाम

1. वरसिंग पिता जीवा मईडा जाति भील निवासी नापला पटवार मण्डल नापला तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाडा।
2. श्रीमती तुलसी बेवा जीवा मईडा जाति भील निवासी नापला पटवार मण्डल नापला तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाडा।
3. भूमिधारी तहसीलदार छोटीसरवन।

–प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 209 राज.काश.अधि.

निर्णय

दिनांकः 13/7/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजस्व लोक अदालत अभियान–2016 ''न्याय आपके द्वार'' पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, वाद वादी विरूद्व निर्णित किया जाकर इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

नोज **शून्य** मुबलिग **शून्य** बाबत् **शून्य** खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह **शून्य** प्रतिशत सालाना आज तारीख से तारीख वसूलयाबी तक **शून्य** का अदा करें।

बसक्त मेरे हस्ताक्षर एंव मुहर अदालत के आज तारीख 13/7/2016 को जारी की गई।

(अंश दीप आईएएस)
उपखण्ड अधिकारी, छोटी सरवन
जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)
छोटी सरवन

मुदई	रूपया पैसा	मुद्ववायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी, छोटी सरवन
जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)